

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

कमांक एफ-43/32/2016/19/यो - 6619

भोपाल दिनांक 20 / 11 / 2016

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक जो दिनांक 27.10.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीहोर	42/5054	जोनतला से खितवई मार्ग	3.70	429.75
2	सीहोर	42/5054	ग्राम पिपलिया से डोबी मुख्य मार्ग	2.00	130.29
3	सीहोर	42/5054	सिलगना से जैत नारायणपुर मार्ग	3.00	336.33
4	सीहोर	42/5054	सियागहन से केवलाझिर मार्ग	4.80	421.70
5	सीहोर	42/5054	गादर से खवादा मार्ग	2.37	205.29
6	सीहोर	42/5054	एस. एच. से पनारी रोड़	1.20	105.76
7	सीहोर	42/5054	जमुनियाकला से रानीपुरा मार्ग की छुटी हुई लंबाई	3.00	577.37
8	सीहोर	64/5054	छीपानेर से खिरकिया मार्ग	3.60	350.25
9	सीहोर	64/5054	छीपानेर से बगवाड़ा मार्ग	2.40	198.78
10	सीहोर	64/5054	छीपानेर से ककेड़ी नदी तक मार्ग	4.50	311.19
11	सीहोर	64/5054	मंझली से बोरखेड़ी मार्ग	2.30	450.37
12	सीहोर	42/5054	राला से खात्याखेड़ी मार्ग	5.50	515.12
13	सीहोर	64/5054	बड़नगर से गिलहरी मार्ग	3.00	239.56
14	सीहोर	64/5054	मेन रोड़ से रिछाड़िया कदीम मार्ग	4.00	486.12
15	सीहोर	64/5054	चीच से अतरालिया मार्ग	4.00	582.76
16	सीहोर	42/5054	ससली से केवलारी मार्ग	5.00	454.57
17	सीहोर	24/5054	बोरधी से बोस्थाखेड़ा होते हुए नरेला जोड़ तक मार्ग	3.00	173.97
18	सीहोर	24/5054	भड़कुल से जमुनिया से बोरदी पहुँच मार्ग	6.68	515.46

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में माँग संख्या 24/5054, 42/5054 एवं 64/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यो हेतु प्राप्त पुनः पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उपरोक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के 18 कार्यो में पूर्व कार्य एजेन्सी से वसूल की जाने वाली राशि की वसूली की जाये, एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करवाये।

5/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:- 18 पुनः पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)  
सचिव

29.11.2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो - 66 20  
प्रतिलिपि:-

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल दिनांक 29/11/2016

1. मुख्य अभियंता (राज परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय भोपाल।

सहपत्र:- शून्य

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो- 6612

भोपाल दिनांक 25/11/2016

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक जो दिनांक 27.10.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्यों की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद/सी0आर0एफ0 योजना के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीहोर	24/5054	नाहरखेड़ा से नहर तक मार्ग	1.00	99.46 ✓
2	रायसेन	24/5054	एस. एच. 15 सिलवानी सुल्तानगंज मार्ग से सरस्वती नगर सिलवानी पहुँच मार्ग	0.63	70.62 ✓
3	रायसेन	24/5054	बोरास सुल्तानगंज मार्ग से पंचकोशी मंदिर पहुँच मार्ग	0.57	81.90 ✓
4	बड़वानी		सी. आर. एफ. योजनांतर्गत दवाना खुरमपुरा मदरानिया मार्ग पर विद्युत लाईन शिपिंग का कार्य	-	69.38 ✓

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


/2/

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)  
सचिव

पृ0 क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो-6613

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल दिनांक 29/11/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

  
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो 6610  
प्रति,

भोपाल दिनांक 29/11/2016

✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक जो दिनांक 27.10.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	अशोकनगर	24/5054	धुरा से महिदपुर मार्ग के ध्वस्त कि. मी. 1 से 3/6 का पुनर्निर्माण कार्य	2.60	140.18
2	रायसेन	24/5054	जाखड़ापुल से नानाखेड़ी मडकसिया प्रेमतालाब दिवटिया मार्ग	8.50	671.14
3	रायसेन	24/5054	घाअखेड़ी से मूडला मार्ग	2.60	115.30

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-08 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 29.11.16

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल दिनांक 29/11/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो - 6611  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
2. मुख्य अभियंता (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

सहपत्र:-शून्य

सचिव 29.11.16

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/32/2016/19/यो-688)  
प्रति,

भोपाल दिनांक 17/12/2016


✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 152वीं बैठक जो दिनांक 27.10.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद/सी0आर0एफ0 योजना के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीहोर	24/5054	तजपुरा स्टेण्ड से चिचलाहा कला मार्ग	1.70	116.21
2	सीहोर	24/5054	हाल्याखेड़ी से भोजपुर टप्पा मार्ग	3.00	223.56
3	सीहोर	24/5054	टीकामोड़ा से बावड़ीखेड़ा मार्ग	1.50	174.62
4	सीहोर	24/5054	जोशीपुर से नर्मदाघाट मार्ग	0.90	144.75
5	सीहोर	24/5054	मुख्य मार्ग से बगवाड़ा मार्ग	1.30	207.14
6	रायसेन	24/5054	झिरिया तालुका चौका से खेरी तालुका चौका तम मार्ग का निर्माण	13.10	801.34
7	रायसेन	24/5054	उषापुर से एस. एच. 15 पर पड़रिया खुर्द तिगड्डे तक मार्ग का निर्माण	5.30	329.20
8	रायसेन	24/5054	पड़रिया हिम्मतसिंह से खमरिया मानपुर तक मार्ग	3.00	185.85
9	रायसेन	24/5054	एस. एच. 15 वेयर हाउस के पास से कुण्डाली से खिरका घाटी में मुख्यमंत्री सड़क तक मार्ग का निर्माण	5.30	329.82
10	रायसेन	24/5054	वीकलपुर कुंअरखेड़ी बाड़ादेवरी मुआरटोला से डुगरिया मार्ग तक सड़क निर्माण	9.55	635.57
11	रायसेन	24/5054	थाला दिघवान से शोकलपुर तक मार्ग का निर्माण	6.64	418.28

  
14/12/16

क्र.	जिला	मांग. संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
12	रायसेन	24/5054	एस. एच. 44 से सोजनी छिंद छिकरा तक मार्ग का निर्माण	13.30	910.82
13	रायसेन	24/5054	बेगमगंज सागर मार्ग से झिरिया मंदिर गोपालपुरा बेगमगंज हेदरगढ़ मार्ग तक सड़क का निर्माण	9.20	573.75
14	दमोह	24/5054	सी. आर. एफ. योजनांतर्गत फतेहपुर भिलौनी मडियादो मार्ग पर विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य	-	142.01
15	टीकमगढ़	24/5054	सी. आर. एफ. योजनांतर्गत निवाड़ी से सेंदरी मार्ग पर विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य	-	136.30

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-15 प्राक्कलन

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 14/12/2016

पृ० कमाक एफ-43/32/2016/19/यो- 6888  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (सागर परि०) लोक निर्माण विभाग सागर।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. रिकार्ड फाईल योजना शाखा मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग